




संबंधित।

22/5/19

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन प्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।


  
अंचल अधिकारी  
धनबाद।

दिनांक

23/5/19

सह 10/4/19


अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

  
अंचल अधिकारी  
धनबाद।

स

10/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक  
20/6/20 को रखें।


  
अंचल अधिकारी  
धनबाद।


20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा  
खंटा मौजा नं० 06 खाता 196 प्लॉट  
नं० 1367 रकबा 5.30 एकड़ भूमि से संबंधित है। आवेदित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार नैरआबाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रयत  
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित  
भूमि दाखिल खारिज केस नं० 505 (11) 2007-08 के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहारपद माना गया  
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया।

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

  
20-6-20  
अंचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
20-6-20  
अंचल अधिकारी,  
धनबाद।